न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर म.प्र.

निगरानी 152-PBR-15

प्रकरण क्रं. /2014/

दिनांक 20-1-15 को
श्री जितेन्द्र स्वामी आदि
द्वारा प्रस्तुत।
20-1-15
SO

केशव सिंह राजपूत पुत्र सुल्तान सिंह राजपूत निवासी ग्राम सुसेरा हाल लक्ष्मीगंज लश्कर ग्वालियर ।

विरूद्ध

डॉ. शैलेन्द्र सिंह पुत्र गर सिंह राजपूत निवासी-ग्राम सुसेरा हाल- सी-939 आनंद नंगर ग्वालियर

प्रार्थना पत्र निगरानी विरूद्ध अपर तहसीलदार तहसील ग्वालियर के प्रकरण क्रं. 13/13-14/अ-6 आदेश दिनांक 11.09.14 अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

श्रीमान जी,

प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र निम्नानुसार श्रीमान जी की सेवा में प्रस्तुत है :-

निगरानी के तथ्य :-

1. यहकि, प्रार्थी के पिता श्री सुल्तान सिंह के नाम से प्रार्थी के पुश्तैनी स्वत्व स्वामित्व की कृषि आराजी ग्राम सुसेरा में स्थित है जिसका सर्वे क्रं. 719 रकबा 0.449 है ।

2. यहकि, प्रार्थी के पिता की वृद्धावस्था का नाजायज लाभ उठाकर प्रतिप्रार्थी डॉ. शैलेन्द्र सिंह राजपूत के द्वारा स्वयं के नाम से विक्रय पत्र का निष्पादन करा लिया । इस कपटपूर्वक हिन्दू अविभाजित परिवार की भूमि का जो विक्रय पत्र कराया है उसकी नामान्तरण की कार्यवाही में प्रार्थी के द्वारा विधिवत न्यायालय अपर तहसीलदार ग्राम सुसेरा तहसील ग्वालियर के समक्ष आपत्तियां प्रस्तुत की गई । आपत्तियों पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा सुनवाई हेतु दिनांक भी नियत की गई ।

3. यहकि, सुनवाई के दौरान ही संबंधित तहसीलदार के द्वारा पृथक से पंजी पर नामान्तरण कर दिया गया । जबकि प्रकरण उनके न्यायालय में सुनवाई हेतु नियत था। इस घोर अनियमितता से दःखी होकर यह निगरानी प्रार्थना पत्र श्रीमान जी की समक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 152–पीबीआर/15 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–6–2015	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर तहसीलदार के आदेश दिनांक 11–9–2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अपर तहसीलदार के समक्ष आवेदक की ओर से नामांतरण पंजी पर किये गये नामांतरण को निरस्त कर पूर्व की स्थिति कायम करने का निवेदन किया गया है । इस संबंध में अपर तहसीलदार द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि पुनर्विलोकन में हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण का निराकरण करने के निर्देश दिये गये है । अतः उनके द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई के पश्चात ही अंतिम आदेश पारित किया जायेगा। उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। (मनोज गोयल) अध्यक्ष	